न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या:—68/2025

जाबीर पुत्र महरूम यासीन, जाति चेजारा मुस्लिम, निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं।
2. जाकिर पुत्र महरूम यासीन, जाति चेजारा मुस्लिम, निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. शकरून बानो पत्नी महरूम अयूब उर्फ शाहीद
4. इरफान पुत्र महरूम अयूब उर्फ शाहीद
5. सदाम पुत्र महरूम अयूब उर्फ शाहीद
6. साजीद पुत्र महरूम अयूब उर्फ शाहीद
7. हैदर अली पुत्र महरूम अयूब उर्फ शाहीद
8. खातून बानो पुत्री महरूम अयूब उर्फ शाहीद
   समस्त जातियान चेजारा मुस्लिम, निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. जन्नत बानो पत्नी महरूम मो0 ईस्लाम, जाति चेजारा मुस्लिम, निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. मेहरूनिशा बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
11. सबीर पुत्र महरूम मो0 इस्लाम
12. जेतुन बानो पुत्री महरूम यासीन
13. आबिदा बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
14. उम्मेद बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
15. फरजाना बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
16. शहनाज बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
17. साजीदा बानो पुत्री महरूम मो0 इस्लाम
    समस्त जातियान चेजारा, निवासी मेडतनी बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
18. नसीम बानो पुत्री महरूम इकबाल
19. शकील पुत्र महरूम इकबाल
    समस्त जातियान चेजारा मुस्लिम, बावड़ी के पास, वार्ड नं0 47 कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण प्रविष्टि कमांक सं0 5890 दिनांकित 09.01.2025 द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं

——

उपस्थित:—

1. श्री रविराज सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजेन्द्र गुर्जर, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4, 6 लगायत 19 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 01.08.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण आदेश संख्या 5890 दिनांक 09.01.2025के विरूद्व के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अपील इस प्रकार है कि कस्बा झुंझुनूं की सरहद में भूमि नया खाता सं0 1346 (खाता नं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27 तादादी 1.87 है0, खसरा नं0 41 तादादी 0.40 है0, खसरा नं0 42 तादादी 0.25 है0, खसरा नं0 44 तादादी 2.10 है0 कुल किता 04 कुल तादादी 4.62 है0 अवस्थित है। अपील की मद संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का खातेदार काश्तकार यासीन था जिसका विवाह सुगरा के साथ हुआ था। यासीन व सुगरा के समागम से यासीन के 5 पुत्रान व 1 पुत्री पैदा हुए। यासीन का दिनांक 10.09.2000 के देहान्त के बाद यासीन की चल–अचल संपति में उसकी पत्नी, 5 पुत्रगण व पुत्री ने हक–हिस्सा पाया और इसी अनुसार यासीन की खातेदारी भूमि में नामान्तकरण की कार्यवाही तस्दीक हुई। यासीन की खातेदारी भूमि उसके वारिसान प्रत्येक को 1/7–1/7 अंश प्राप्त हुआ जिसके बाबत् वारिसान में कभी कोई विवाद नहीं रहा। यासीन का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

यासीन (फौत दिनांक 10.09.2000)

जाबीर (पुत्र)	जाकिर (पुत्र)	जेतुन (पुत्री)	इस्लाम (फौत)(पुत्र)						इकबाल (फौत)(पुत्र)		अयूब (फौत)(पुत्र)						सुगरा (फौत)
			जन्नत	आबिदा	उम्मेद	फरजाना	मेहरूनिशा	साजीदा	समीर	नसीम	शकील	खालकून	इरफान	सद्दाम	साजीद	हैदर अली	खातून	

यासीन के वारिसान के द्वारा खातेदारी अधिकारों के बाबत् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के समक्ष एक उनवानी दावा सुगरा आदि बनाम इब्राहिम आदि मु0नं0 343/2008 दावा बाबत् घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया गया था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2012 को पारित हुआ जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 5450 दिनांक 08.02.2024 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण उसे अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर अपील स्वीकार की जाकर विधिनुकूल रूप से नामान्तरकरण भरे जाने हेतु तहसीलदार/रेस्पोडेन्ट नं0 1 को आदेशित किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने श्रीमान् के आदेश के विपरीत जाकर नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 09.01.2025 पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट नं0 1 तहसीलदार ने अपीलेट कोर्ट के आदेश की पालना में भूमि खाता संख्या 1346 (खाता सं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27, 41, 42 में नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुए गलत रूप से पक्षकारों का हिस्सा वर्णित कर इन्द्राज कर दिया। भूमि खसरा नं0 27, 41, 42 की खातेदार महरूम सुगरा के हिस्से 1/7 हिस्से को पुत्र व पुत्रियों में समान अंश के रूप में बांट दिया। सुगरा ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से के बाबत् वसीयत दिनांकित 26.11.2015 निष्पादित की थी जिसके बाबत् रेस्पोडेंट नं0 2 लगायत 19 को जानकारी रही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय अपीलान्ट्स द्वारा सुगरा के द्वारा की गई वसीयत की प्रति पेश कर अपीलान्ट नं0 1 के हक हिस्से का इन्द्राज किये जाने बाबत् निवेदन किया लेकिन रेस्पोडेंट नं0 1 ने दस्तावेज को नजरअंदाज करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इस प्रकार से नामान्तरकरण सं0 5890 विधि विरुद्ध है। महरूम सुगरा के द्वारा दिनांक 26.11.2015 को जो वसीयत निष्पादित की गई, उस वसीयत में गवाह के रूप में गुलाब नबी व मोहम्मद तौफिक साक्षी रहे है। उसके बाद एक सहमति पत्र दिनांक 16.4.2018 को 100/रू. के गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया जो मो0 इकबाल पुत्र मो0 यासीन, इस्लाम पुत्र मो0 यासीन एवं जेतुन पुत्री मो0 यासीन, जाकिर पुत्र मो0 यासीन, इस्लाम पुत्र मो0 यासीन एवं जेतुन पुत्री मो0 यासीन के द्वारा इस वसीयत के संदर्भ में अपीलान्ट जाबीर के हक में तस्दीक किये जाने के बाबत् कोई ऐतराज नहीं किये जाने का लिखी गई। फिर भी रेस्पो0 नं0 1 ने इन दस्तोवजों की अनदेखी करते हुए सुगरा का हक हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पों0 2 लगायत 19 सभी के पक्ष में तस्दीक कर दिया। इस प्रकार से उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही सुगरा के हिस्से को गलत रूप से अन्य के दर्ज किये जाने के कारण खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रमांक सं0 5890 दिनांक 09.01.2025 को खारिज फरमाया जावे एवं भूमि खाता सं0 1346 (खाता सं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27, 41, 42 में महरूम सुगरा का हक हिस्सा के नामान्तरकरण उसकी वसीयत दिनांक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

26.11.2015 एवं सहमति पत्र दिनांक 16.04.2018 के अनुसार अपीलान्ट के हक में भरे जाने का आदेश पारित करें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि कस्बा झुंझुनूं की सरहद में भूमि नया खाता सं0 1346 (खाता नं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27 तादादी 1.87 है0, खसरा नं0 41 तादादी 0.40 है0, खसरा नं0 42 तादादी 0.25 है0, खसरा नं0 44 तादादी 2.10 है0 कुल किता 04 कुल तादादी 4.62 है0 अवस्थित है। अपील की मद संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का खातेदार काश्तकार यासीन था जिसका विवाह सुगरा के साथ हुआ था। यासीन व सुगरा के समागम से यासीन के 5 पुत्रान व 1 पुत्री पैदा हुए। यासीन का दिनांक 10.09.2000 के देहान्त के बाद यासीन की चल–अचल संपति में उसकी पत्नी, 5 पुत्रगण व पुत्री ने हक–हिस्सा पाया और इसी अनुसार यासीन की खातेदारी भूमि में नामान्तकरण की कार्यवाही तस्दीक हुई। यासीन की खातेदारी भूमि उसके वारिसान प्रत्येक को 1/7–1/7 अंश प्राप्त हुआ जिसके बाबत् वारिसान में कभी कोई विवाद नहीं रहा। यासीन के वारिसान के द्वारा खातेदारी अधिकारों के बाबत् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के समक्ष एक उनवानी दावा सुगरा आदि बनाम इब्राहिम आदि मु0नं0 343/2008 दावा बाबत् घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया गया था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2012 को पारित हुआ जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 5450 दिनांक 08.02.2024 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि विरुद्ध होन के कारण उसे अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर अपील स्वीकार की जाकर विधिनुकूल रूप से नामान्तरकरण भरे जाने हेतु तहसीलदार/रेस्पोडेन्ट नं0 1 को आदेशित किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने श्रीमान् के आदेश के विपरीत जाकर नामान्तरकरण का आदेश दिनांक 09.01.2025 पारित कर दिया। रेस्पोडेंट नं0 1 तहसीलदार ने अपीलेट कोर्ट के आदेश की पालना में भूमि खाता संख्या 1346 (खाता सं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27, 41, 42 में नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुए गलत रूप से पक्षकारों का हिस्सा वर्णित कर इन्द्राज कर दिया। भूमि खसरा नं0 27, 41, 42 की खातेदार महरूम सुगरा के हिस्से 1/7 हिस्से को पुत्र व पुत्रियों में समान अंश के रूप में बांट दिया। सुगरा ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से के बाबत् वसीयत दिनांकित 26.11.2015 निष्पादित की थी जिसके बाबत् रेस्पोडेंट नं0 2 लगायत 19 को जानकारी रही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय अपीलान्ट्स द्वारा सुगरा के द्वारा की गई वसीयत की प्रति पेश कर अपीलान्ट नं0 1 के हक हिस्से का इन्द्राज किये जाने बाबत् निवेदन किया लेकिन रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दस्तावेज को नजरअंदाज करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इस प्रकार से नामान्तरकरण सं0 5890 विधि विरुद्ध है। महरूम सुगरा के द्वारा दिनांक 26.11.2015 को जो वसीयत निष्पादित की गई, उस वसीयत में गवाह के रूप में गुलाब नबी व मोहम्मद तौफक साक्षी रहे है। उसके बाद एक सहमति पत्र दिनांक 16.4.2018 को 100/रू. के गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पदित किया गया जो मो0 इकबाल पुत्र मो0 यासीन, इस्लाम पुत्र मो0 यासीन एवं जेतुन पुत्री मो0 यासीन, जाकिर पुत्र मो0 यासीन, इस्लाम पुत्र मो0 यासीन एवं जेतुन पुत्री मो0 यासीन के द्वारा इस वसीयत के संदर्भ में अपीलान्ट जाबीर के हक में तस्दीक किये जाने के बाबत् कोई ऐतराज नहीं किये जाने का लिखी गई। फिर भी रेस्पों0 नं0 1 ने इन दस्तोवजों की अनदेखी करते हुए सुगरा का हक हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पों0 2 लगायत 19 सभी के पक्ष में तस्दीक कर दिया। इस प्रकार से उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही सुगरा के हिस्से को गलत रूप से अन्य के दर्ज किये जाने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रमांक सं0 5890 दिनांक 09.01.2025 को खारिज फरमाया जावे एवं भूमि खाता सं0 1346 (खाता सं0 पुराना 120) के खसरा नं0 27, 41, 42 में महरूम सुगरा का हक हिस्सा के नामान्तरकरण उसकी वसीयत दिनांक 26.11.2015 एवं सहमति पत्र दिनांक 16.04.2018 के अनुसार अपीलान्ट के हक में भरे जाने का आदेश पारित करें।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4, 6 लगायत 19 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4, 6 लगायत 19 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण से संबंधित एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे चला जिसमे दिनांक 07.05.2012 को निर्णय डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री की पालना मे नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

झुंझुनूं द्वारा पारित डिक्री निर्णय की पालना मे भरे गये नामान्तरकरण की चुनौती इस न्यायालय मे नही दी जा सकती है। डिक्री भी गलत जारी की गई थी जिसे चुनौती दी जा चुकी है। वसीयत रजिस्टर्ड नही है। अपीलान्ट पहले सक्षम न्यायालय मे वसीयत को विधिमान्य घोषित करावें। वसीयत के आधार पर यदि नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तो संबंधित पक्षकारान् को नोटिस जारी होते, बयान लेते। न्यायालय हजा द्वारा इस संबंध मे दर्ज मे अपील पारित निर्णय की अपील भी माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील चलने लायक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना मे नामान्तरकरण तसछीक किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 5890 दिनांक 09.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा पारित डिक्री व न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना मे भरा गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण इन दो आदेशों से परे नही हो सकता है। अपीलान्ट को वसीयत का तथ्य इन दोनो मे से किसी भी न्यायिक वाद मे तथ्य प्रस्तुत कर युक्तियुक्त आदेश लेना था। अपीलान्ट अब भी इस वसीयत के आधार पर घोषणा की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। नामान्तरकरण न्यायालय के आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करने का साधन मात्र है एवं इसमे मैरिट पर नया तथ्य विवेचन कर निर्णय नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलन्ट खारीज की जाती है। अपीलान्ट वसीयत के आधार पर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं